Think
IAS...

दृष्टि
The Vision

Think
Drishti

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)

भारतीय समाज तथा सामाजिक समस्याएँ

(उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित)

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम *(Distance Learning Programme)*

Code: UPM08

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)

भारतीय समाज तथा सामाजिक समस्याएँ

(उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित)

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 8750187501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

UPPCS DLP विषय सूची (Contents)

1.	**भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ एवं विविधताएँ**	**9-83**
1.1	वर्ण/जाति व्यवस्था	9
1.2	परिवार/वंश परंपरा/नातेदारी/विवाह	24
1.3	ग्रामीण संरचना	34
1.4	प्रजाति/जनजातीय समुदाय	42
1.5	अभिजन संरचना	48
1.6	पितृतंत्र	52
1.7	धर्म	59
1.8	शिक्षा	69
1.9	भारतीय समाज में अनेकता/विविधता	75
2.	**महिलाओं की भूमिका**	**84-96**
2.1	इतिहास में महिलाओं की भूमिका	84
2.2	राजनीति में महिलाओं की भूमिका	85
2.3	शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका	87
2.4	स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका	88
2.5	अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका	89
2.6	कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका	91
2.7	मीडिया में महिलाओं की भूमिका	92
2.8	विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका	93
2.9	खेल के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका	93
2.10	उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध महिलाएँ	94
3.	**महिलाओं की समस्याएँ और उनके रक्षोपाय**	**97-138**
3.1	महिलाओं के विरुद्ध अपराध	97
3.2	घरेलू हिंसा	100
3.3	दहेज़ प्रथा	104

3.4 कन्या भ्रूण हत्या एवं चयनित गर्भपात 107
3.5 बाल विवाह 111
3.6 महिलाओं का अश्लील चित्रण 113
3.7 महिलाओं से छेड़छाड़ एवं यौन उत्पीड़न 116
3.8 वेश्यावृत्ति 120
3.9 बलात्कार 125
3.10 महिलाओं का दुर्व्यापार 131
3.11 ऑनर किलिंग 136

4. महिला संगठन **139-150**
4.1 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला संगठन 139
4.2 राष्ट्रीय महिला संगठन 140
4.3 उत्तर प्रदेश में महिला संगठन 145
4.4 राष्ट्रीय महिला आयोग 148
4.5 उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग 149

5. शहरीकरण **151-179**
5.1 नगर 151
5.2 नगरीकरण व नगरीयता 153
5.3 भारत में शहरीकरण 155
5.4 भारत में शहरीकरण के कारण 156
5.5 शहरीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव 156
5.6 भारत में शहरीकरण की समस्याएँ 159
5.7 भारत में शहरीकरण की चुनौतियाँ 160
5.8 भारत में शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने हेतु सुझाव 161
5.9 भारत में शहरीकरण से संबंधित योजनाएँ 162
5.10 उत्तर प्रदेश में शहरीकरण से संबंधित योजनाएँ 170
5.11 मलिन बस्तियों की समस्याएँ 171
5.12 मलिन बस्तियों की समस्याओं के सुधारात्मक उपागम 172
5.13 उत्तर प्रदेश में मलिन बस्तियों से संबंधित कार्यक्रम 173
5.14 ग्रामीण विकास 174

5.15 उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं संबंधित योजनाएँ 175
5.16 रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 177
5.17 पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी व्यापार विनियमन) कानून, 2014 178

6. भूमंडलीकरण का भारत पर प्रभाव **180-201**
6.1 भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव 180
6.2 भारतीय संस्कृति पर भूमंडलीकरण का प्रभाव 182
6.3 भारतीय महिलाओं पर भूमंडलीकरण का प्रभाव 184
6.4 भारतीय पारिवारिक संरचना पर भूमंडलीकरण का प्रभाव 185
6.5 भारतीय मध्य वर्ग पर भूमंडलीकरण का प्रभाव 186
6.6 भारतीय वृद्धजनों पर भूमंडलीकरण का प्रभाव 187
6.7 भारतीय कृषि पर भूमंडलीकरण का प्रभाव 187
6.8 भारतीय अर्थव्यवस्था पर भूमंडलीकरण का प्रभाव 189
6.9 भारतीय श्रमिक वर्ग पर भूमंडलीकरण का प्रभाव 191
6.10 भारतीय जनजातियों पर भूमंडलीकरण का प्रभाव 192
6.11 भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था पर भूमंडलीकरण का प्रभाव 193
6.12 भारतीय ग्रामीण क्षेत्र पर भूमंडलीकरण का प्रभाव 193
6.13 भारतीय सिनेमा पर भूमंडलीकरण का प्रभाव 194
6.14 भारतीय भाषाओं पर भूमंडलीकरण का प्रभाव 195
6.15 भारतीय पर्यावरण पर भूमंडलीकरण का प्रभाव 197
6.16 शिक्षा पर भूमंडलीकरण का प्रभाव 197
6.17 अनौपचारिक संरचना पर भूमंडलीकरण का प्रभाव 198
6.18 राष्ट्र-राज्य पर भूमंडलीकरण का प्रभाव 198
6.19 भूमंडलीकरण और राजनीतिक परिवर्तन 199
6.20 भूमंडलीकरण और पंथनिरपेक्षता 200

7. सामाजिक सशक्तीकरण **202-222**
7.1 सामाजिक सशक्तीकरण का अर्थ 202
7.2 वैचारिक उपागम 202
7.3 सामाजिक सशक्तीकरण के तत्त्व 203
7.4 सामाजिक सशक्तीकरण की आवश्यकता क्यों है? 206

7.5 सामाजिक-आर्थिक अपवर्जन/सीमांतीकरण के आधार 207
7.6 सीमांत समूहों के सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा 209
7.7 सामाजिक सशक्तीकरण हेतु उठाए गए कदमों का मूल्यांकन 217
7.8 उत्तर प्रदेश में सामाजिक सशक्तीकरण 221

8. सांप्रदायिकता **223-236**
8.1 सांप्रदायिकता का अर्थ 223
8.2 सांप्रदायिकता की सैद्धांतिक समझ 223
8.3 सांप्रदायिकता के विभिन्न चरण 226
8.4 सांप्रदायिकता का विकास 226
8.5 सांप्रदायिकता के विभिन्न रूप 227
8.6 सांप्रदायिकता के कारण 228
8.7 सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम 231
8.8 सांप्रदायिकता दूर करने के प्रयास 232
8.9 सांप्रदायिकता से निपटने हेतु सुझाव 234

9. क्षेत्रवाद **237-250**
9.1 क्षेत्र का अर्थ 237
9.2 क्षेत्रवाद 237
9.3 क्षेत्रवाद में अंतर के विभिन्न आधार 238
9.4 क्षेत्रवाद के विभिन्न स्वरूप 239
9.5 क्षेत्रवाद समस्या के रूप में 240
9.6 क्षेत्रवाद एकीकरण के उपकरण के रूप में 240
9.7 क्षेत्रवाद के लिये उत्तरदायी कारक 240
9.8 क्षेत्रवाद और पृथक् राज्यों की मांग 241
9.9 क्षेत्रवाद और अंतर्राज्यीय तनाव 242
9.10 क्षेत्रवाद और केंद्र-राज्य संघर्ष 244
9.11 क्षेत्रवाद और संघ से पृथकता 244
9.12 नए राज्यों के गठन की मांग 246
9.13 क्षेत्रवाद के परिणाम 248
9.14 क्षेत्रवाद की समस्या के समाधान हेतु उपाय 248

10. जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे **251-273**

10.1 जनांकिकी एवं जनगणना 251

10.2 जनसंख्या संबंधी प्रमुख सिद्धांत 252

10.3 जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत 254

10.4 भारत की जनसंख्या की विशेषताएँ 255

10.5 जनसंख्या का उम्र-लिंग वितरण 258

10.6 जनसंख्या वृद्धि के जनांकिकीय कारक 260

10.7 जनसंख्या वृद्धि के परिणाम 261

10.8 जनसंख्या नियंत्रण के उपाय 262

10.9 जनसंख्या नियंत्रण के सुझाव 264

10.10 प्रव्रजन 265

10.11 जनसंख्या संबंधी प्रमुख शब्दावलियाँ 270

10.12 उत्तर प्रदेश में जनसंख्या तथा संबद्ध मुद्दे 272

11. गरीबी और विकासात्मक मुद्दे **274-291**

11.1 गरीबी की अवधारणा एवं प्रकार 274

11.2 भारत में गरीबी मापन की पद्धतियाँ 275

11.3 भारत में गरीबी की संस्कृति 277

11.4 गरीबी की जड़ें 278

11.5 गरीबी एवं अपराध के बीच सहसंबंध 278

11.6 गरीबी एवं बाल श्रम 279

11.7 भूमंडलीकरण एवं गरीबी 280

11.8 गरीबी के कारण 281

11.9 गरीबी उन्मूलन के उपाय 283

11.10 भारत में गरीबी निवारण हेतु सुझाव 286

11.11 गरीबी निवारण संबंधी प्रमुख सरकारी कार्यक्रम 287

11.12 उत्तर प्रदेश में गरीबी 290

11.13 उत्तर प्रदेश सरकार की गरीबी निवारण हेतु योजनाएँ 290

12. धर्मनिरपेक्षता **292-302**
12.1 धर्मनिरपेक्षता का अर्थ 292
12.2 धर्मनिरपेक्षता की भारतीय धारणा 293
12.3 धर्मनिरपेक्ष समाज की धारणा 294
12.4 क्या भारत धर्मनिरपेक्ष समाज है? 295
12.5 राजनीति व धर्म का संबंध 295
12.6 धर्मनिरपेक्ष राज्य की धारणा 296
12.7 क्या भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है? 297
12.8 पंथनिरपेक्षता 299
12.9 क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्मांतरण पर प्रतिबंध होना चाहिये? 301
12.10 लोकतंत्र व धर्मनिरपेक्षता में संबंध 301

अध्याय 1

भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ एवं विविधताएँ (Salient Features and Diversities of Indian Society)

भारत एक विशाल देश है, जिसमें अनेक विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। प्रादेशिक व भौगोलिक विविधता वाले इस विशाल भूखंड पर निवास करने वाला भारतीय समाज विश्व के अति प्राचीन समाजों में से एक है। सैकड़ों भाषाओं और बोलियों का यह देश अनेक आदिवासियों के सामाजिक जीवन की विचित्रताओं से भी युक्त है। भारतीय समाज और संस्कृति में अनेक प्रकार की विविधताओं के दर्शन होते हैं, जिन्हें जाति, धर्म, भाषा, प्रजाति तथा विवाह आदि में व्याप्त विभिन्नताओं के द्वारा सरलता से समझा जा सकता है।

1.1 वर्ण/जाति व्यवस्था *(Varna/Caste System)*

वर्ण व्यवस्था *(Varna System)*

किसी भी समाज के व्यवस्थित संचालन हेतु आवश्यक माना जाता है कि सामाजिक कार्यों का विभाजन व्यक्ति की योग्यता, प्रकृति, प्रवृत्ति एवं उसके गुण व कर्मों के आधार पर किया जाए। व्यक्ति की कार्य क्षमता के आधार पर कर्म विभाजन करने को ही वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। साधारण शब्दों में इस वर्ण व्यवस्था को विवेचित कर सकते हैं- जिस व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता के आधार पर कर्म का वरण करता है, वह वर्ण व्यवस्था कहलाती है। वर्ण शब्द की उत्पत्ति 'वृ' धातु से मानी गई है जिसका अर्थ है- वरण करना या चुनना। इसके अतिरिक्त वर्ण शब्द 'रंग' के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। यद्यपि मनुस्मृति में वर्ण व जाति शब्द प्रायः एक ही अर्थ में प्रयोग किये गए हैं, जैसा कि वर्तमान में भी देखने को मिलता है।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था का मूलाधार इसी वर्ण व्यवस्था को माना गया है। हालाँकि विश्व भर के अधिकांश समाजों में सामाजिक स्तरीकरण का आधार 'वर्ग' को माना गया है। जबकि भारत में प्राचीनकाल से ही 'वर्ण एवं जाति' की व्यवस्था विद्यमान रही है। अनुमान है कि भारतीय समाज में कृषि विकास के परिणामस्वरूप एक नई उत्पादन व्यवस्था विकसित हुई, जिसके संचालन के लिये श्रम विभाजन की आवश्यकता पड़ी और परिणामस्वरूप समाज में वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। श्रम एवं व्यवसाय के आधार पर जन्मे इन सामाजिक वर्णों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कहा गया।

धार्मिक क्रियाओं एवं ज्ञान का संपादन ब्राह्मणों का वर्ण-धर्म माना गया। प्रशासन एवं सत्ता का कार्य क्षत्रियों का। आर्थिक उत्पादन और वितरण कार्य वैश्यों का वर्ण-धर्म था, जबकि शूद्रों का वर्ण-धर्म शारीरिक श्रम एवं सेवा का कार्य माना गया था। व्यवसाय पर आधारित होने के कारण वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी। इस संदर्भ में ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध उद्धरण महत्त्वपूर्ण है- "मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ पत्थर की चक्की चलाती हैं। धन की कामना करने वाले नाना कर्मों वाले हम एक साथ रहते हैं।"

इस प्रकार कह सकते हैं कि वर्ण व्यक्ति के गुण तथा कर्म से संबंधित थे। जिन व्यक्तियों के गुण व कर्म समान थे अर्थात् जो समान स्वभाव के थे, वे सभी एक ही वर्ण के सदस्य माने जाते थे। श्री कृष्ण ने भगवद्गीता में भी कहा है कि "चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः" अर्थात् मैंने ही गुण एवं कर्म के आधार पर चारों वर्णों की उत्पत्ति की है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि वर्ण व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण की ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति के गुण तथा कर्म पर आधारित है तथा जिसके अंतर्गत समाज का 4 वर्गों के रूप में कार्यात्मक विभाजन हुआ है। गुण व कर्म का यहाँ पर संबंध व्यक्ति के स्वभाव एवं सामाजिक दायित्वों से है। अतः समाज के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु मनुष्यों के रुझानुसार उन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ण स्वयं के वर्ण-धर्म का पालन करते हुए दायित्वों का निर्वहन करता है। के.एम. पणिक्कर जैसे विद्वान भारतीय समाज के इस चतुर्वर्णी विभाजन को कोरी कल्पना मानते हैं। परंतु वास्तव में इसे कोरा

सरकारों के प्रोत्साहन प्राप्त हैं। इस प्रकार विवाह सामाजिक विभेद को समाप्त करते हुए सामाजिक एकीकरण का एक दूरगामी तथा महत्त्वपूर्ण उपकरण हो सकता है।

ऐसे में विवाह संबंधी नियमों के स्तर पर विषमता को समाप्त करने के लिये एक समान नागरिक संहिता की स्थापना किया जाना आवश्यक हो जाता है। भारत का संविधान राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों में सभी नागरिकों को समान प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। यद्यपि इस तरह का कानून अभी तक लागू नहीं किया जा सका है, जबकि विश्व के अधिकतर आधुनिक देशों में ऐसे कानून लागू हैं। महत्त्वपूर्ण है कि अलग-अलग धर्मों के लिये अलग सिविल कानून न होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मामले आते हैं- (i) व्यक्तिगत स्तर के मामले, (ii) संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन का अधिकार, (iii) विवाह, तलाक और गोद लेना।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- 19वीं और आरंभिक 20वीं शताब्दी में अनेक समाज सुधारकों द्वारा बाल विवाह का विरोध किया गया तथा इन्हीं के प्रयासों के परिणामस्वरूप 1929 में बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया, जिसमें लड़के एवं लड़कियों की विवाह के समय न्यूनतम आयु क्रमश: 17 और 14 वर्ष रखी गई। आधुनिक समय में बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 द्वारा भारत में बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया है।
- स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था अनेक समस्याओं से ग्रसित थी। इन समस्याओं व चुनौतियों से निपटने हेतु सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये तरह-तरह के विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। इन कार्यक्रमों के तहत सर्वप्रथम 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया।
- प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग वर्ष 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया।
- वर्ष 2006 में भारत सरकार द्वारा आदिम जनजातीय समूह का नाम बदलकर विशेष रूप से 'कमज़ोर जनजातीय समूह' की संज्ञा दी गई।
- वन अधिकार अधिनियम स्वामित्व, 2006 केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया एक सशक्त व महत्त्वपूर्ण कदम है, जिसके माध्यम से देश के आदिवासी वनवासियों को वनों का मालिकाना अधिकार दिया गया है।

अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. "जाति व्यवस्था नई-नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है। अत:, भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है।" टिप्पणी कीजिये।
2. भारत में विविधता के किन्हीं चार सांस्कृतिक तत्त्वों का वर्णन कीजिये और एक राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में उनके आपेक्षिक महत्त्व का मूल्य निर्धारण कीजिये।
3. संयुक्त परिवार का जीवन चक्र सामाजिक मूल्यों की बजाय आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। चर्चा कीजिये।
4. ऐसे विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बलों पर चर्चा कीजिये, जो भारत में कृषि के बढ़ते हुए महिलाकरण को प्रेरित कर रहे हैं।
5. वर्तमान में भारतीय समाज द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिये। हमारे समाज को अधिक समावेशी बनाने के लिये इन चुनौतियों से किस प्रकार निपटा जा सकता है?

अध्याय
2

महिलाओं की भूमिका
(Role of Women)

प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक भारत में महिलाओं की भूमिका का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। दूसरे शब्दों में, समय के साथ महिलाओं की भूमिकाओं ने कई बड़े बदलावों का सामना किया है। एक समय था जब भारतीय महिलाओं की भूमिका सिर्फ घर की चहारदीवारी तक सीमित थी, वहीं आज उनकी भूमिका घर की चहारदीवारी को तोड़ते हुए अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी दिखाई देती है। पिछले कुछ सालों में महिलाएँ कई क्षेत्रों में आगे आई हैं। उनमें नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है और वे अब हर काम को चुनौती के रूप में नहीं बल्कि अवसर के रूप में स्वीकार करने लगी हैं। अब महिलाएँ सिर्फ गृह कार्यों तक ही सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। अब हर वैसा क्षेत्र जहाँ पहले केवल पुरुषों का ही वर्चस्व था, वहाँ स्त्रियों को काम करते देखकर हमें आश्चर्य नहीं होता है। महिलाओं में इतना आत्मविश्वास पैदा हो गया है कि वे अब किसी भी विषय पर बेझिझक बात करती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अब कोई भी क्षेत्र महिलाओं के योगदान से अछूता नहीं रहा है।

आज भारत में महिलाएँ उस दिशा में अनुगमन कर रही हैं, जिसे पाश्चात्य देशों की महिलाओं ने लगभग 70 से 80 वर्ष पहले अपनाया था अर्थात् समान मनुष्य की तरह व्यवहार करने की मांग। आज यह और अधिक स्पष्ट हो गया है कि भारतीय महिलाएँ अपनी पारंपरिक और धार्मिक संस्कृति के बावजूद पश्चिमी नारीवाद के प्रति अनुकूलित हो सकती हैं। यद्यपि भारतीय समाज की जटिलताओं के कारण भारत में महिलाओं का विकास उनकी पाश्चात्य समकक्षों की तुलना में पूर्णत: परिवर्तित संदर्भ में हुआ, लेकिन मुख्य लक्ष्य समान हैं। पुरुषों के समकक्ष स्वतंत्र धरातल पाने के लिये महिलाओं की आकुलता स्पष्ट देखी जा सकती है। भारतीय महिलाओं के समक्ष जाति प्रथा, दहेज प्रथा धार्मिक परंपराओं, प्राचीन प्रचलित भूमिकाओं जैसी अन्य चुनौतियाँ तो हैं ही, साथ ही उसे पहले से अधिक मज़बूत भारतीय समाज के पुरुष सत्तात्मक ताने-बाने से भी लोहा लेना है। एक समय था जब यह स्थिति स्वीकार्य थी, लेकिन पाश्चात्य महिला क्रांति तथा अनुभूति के पश्चात् समानता के अधिकार की वकालत करने वाले राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर के संगठनों तथा महिलाओं के स्वतंत्र समूहों के योगदान से महिलाओं की भूमिका में धीरे-धीरे विकास के लक्ष्य परिलक्षित हो रहे हैं। इन सभी का योगदान सराहनीय है, लेकिन अभी भी काफी कुछ करना शेष है, जिसके लिये पुरुषों को अपना पूरा सहयोग देना होगा। इन सभी उपलब्धियों के अलावा आज महिलाओं के सामने अनेक ऐसे अवसर उपलब्ध हैं, जो एक समय उनके लिये स्वप्न जैसे थे। एक समय की वह गहरी अंधेरी सुरंग आज अवसरों, उपलब्धियों और समानता के प्रकाश की ओर ले जाने वाली राह बन गई है। भारत में महिलाओं का भविष्य उज्ज्वल और सुरक्षित प्रतीत होता है।

2.1 इतिहास में महिलाओं की भूमिका *(Role of Women in History)*

ऐतिहासिक संदर्भों में देखें तो हम पाते हैं कि वैदिक काल में महिलाओं को अध्ययन का अवसर मिलता था और उन्हें कई प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। प्राचीन भारत के अध्ययन से जुड़े विद्वानों का मानना है कि उस काल में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा हासिल था। पतंजलि और कात्यायन जैसे प्राचीन भारतीय व्याकरणविदों का कहना है कि वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वैदिक ऋचाएँ यह बताती हैं कि महिलाओं की शादी एक परिपक्व उम्र में होती थी और संभवत: उन्हें अपना पति चुनने की भी स्वतंत्रता थी। ऋग्वेद और उपनिषद जैसे ग्रंथ कई महिला साध्वियों और संतों के बारे में बताते हैं, जिनमें गार्गी और मैत्रेयी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मैत्रेयी एवं गार्गी वैदिक काल की एक विदुषी एवं ब्रह्मवादिनी स्त्री थीं। अध्ययनों के अनुसार वैदिक काल में महिलाओं को बराबरी का दर्जा और अधिकार मिलता था। हालाँकि, बाद में लगभग 500 ईसा पूर्व में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आनी शुरू हो गई। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि विदेशी आक्रांताओं की वजह से भी महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों में गिरावट आई और भारत के कुछ समुदायों में सती प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति विद्यमान थीं। विधवा होने

अध्याय
3

महिलाओं की समस्याएँ और उनके रक्षोपाय (Women's Problems and Their Remedies)

स्वतंत्र भारत में महिलाएँ तुलनात्मक रूप से सम्मानजनक स्थिति में हैं। कुछ समस्याएँ जो सदियों से महिलाओं को परेशान कर रही थीं, अब नहीं पाई जाती हैं। सती-प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर निषेध, विधवाओं का शोषण, देवदासी प्रथा, पर्दा प्रथा आदि कुरीतियाँ अब लगभग समाप्त हो गई हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास, शिक्षा का सार्वभौमीकरण, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों, आधुनिकीकरण और इसी तरह के विकास से महिलाओं के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अब महिलाएँ समस्याओं से पूरी तरह से मुक्त हो गई हैं। इसके विपरीत, बदलते परिदृश्यों ने महिलाओं के लिये नई समस्याएँ पैदा की हैं तथा वे अब नए तनावों और दबावों से घिरी हुई हैं।

3.1 महिलाओं के विरुद्ध अपराध *(Crimes Against Women)*

जब हम महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की बात करते हैं तो इससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ विशेष प्रकार के अपराध सिर्फ महिलाओं के विरुद्ध ही किये जाते हैं। भारतीय दंड संहिता के तहत मुख्य तौर पर यहाँ वर्णित अपराधों को महिलाओं के विरुद्ध अपराध माना गया है- (i) बलात्कार, (ii) अपहरण या भगा ले जाना, (iii) दहेज़ हत्या, (iv) उत्पीड़न (शारीरिक एवं मानसिक), (v) छेड़छाड़ (vi) यौन उत्पीड़न, (vii) लड़कियाँ मंगवाना या लाना।

महिलाओं और लड़कियों को जीवन में अपराध का सामना कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, पारिवारिक व्यभिचार और कथित ऑनर किलिंग के रूप में करना पड़ता है। यह दहेज़ संबंधी हत्या या घरेलू हिंसा, दुष्कर्म, यौन शोषण, दुर्व्यवहार, दुर्व्यापार, निरादर और निष्कासन के रूप में हो सकता है। महिलाओं एवं लड़कियों को किसी वस्तु या संपत्ति की तरह खरीदा एवं बेचा जाता है। विवाहेतर संबंधों के अपराध में उन्हें निर्वस्त्र कर एवं उनके सिर मुड़ाकर सार्वजनिक तौर पर घुमाया जाता है। दहेज़ से संबंधित मामलों में उन्हें ज़िंदा जलाकर मार दिया जाता है। कार्यस्थलों पर उनका शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। तेज़ाब से हमला, अश्लील चित्रण, बलात्कार, तस्करी एवं छेड़छाड़ महिलाओं से जुड़ी समस्याएँ हैं।

महिलाओं के साथ होने वाली ऐसी घटनाओं में अक्सर देखा जाता है कि वे न तो उस समय और न ही घटना के बाद इसका ज़िक्र करती हैं। महिलाएँ न तो घर में अपने साथ होने वाली हिंसा के बारे में बताती हैं और न पुलिस में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराती हैं। प्रायः वे समझती हैं कि महिलाओं के साथ ऐसा ही होता आया है और इसमें बदलाव नहीं लाया जा सकता है।

महिलाओं के प्रति अपराध के कारण *(Causes for Crimes Against Women)*

महिलाओं के विरुद्ध होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा के लिये उत्तरदायी कारणों को हम मुख्य रूप से चार श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं-

- **सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण:** इसकी जड़ें पुरुषवादी सामाजिक संरचना या पितृसत्ता में खोजी जा सकती हैं। पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व देखने को मिलता है। इसी बात का सहारा लेकर महिलाओं के मूल्य एवं गरिमा को कम करके आँका जाता है और आजीवन उनके साथ भेदभाव किया जाता है।

समाज में बच्चों की परवरिश की प्रक्रिया लिंग-भेद के आधार पर टिकी होती है। अक्सर देखा जाता है कि बचपन से ही परिवार एवं समाज द्वारा बालक एवं बालिका शिशुओं के समाजीकरण की प्रक्रिया में भेदभाव किया जाता है। हमेशा से ही महिला सदस्यों में रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देने की बजाय उनमें नारी सुलभ कोमलता के अधिकाधिक विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चियों को परिवार या समाज की ऐसी महिलाओं को आदर्श बनाकर अच्छे-बुरे

अध्याय
4

महिला संगठन
(Women's Organizations)

आज महिलाएँ उस दिशा में अनुगमन कर रही हैं, जिस दिशा में कदम रखना दशकों पहले उनके लिये मुमकिन नहीं था। वर्तमान में महिलाएँ पारंपरिक और धार्मिक संस्कृति के बावजूद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सशक्त हो रही हैं। हालाँकि महिलाओं के समक्ष समाज में कुछ पारंपरिक रूढ़ियाँ विद्यमान हैं, जिन्हें समाप्त करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में अनेक महिला संगठन कार्यरत हैं, जो रक्षक तथा प्रेरक की भूमिका निभा रहे हैं। इन संगठनों के प्रयास एवं आत्मविश्वास के दम पर ही आज महिलाएँ घर-परिवार से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम-से-कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं।

4.1 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला संगठन
(Women's Organization on International Level)

वर्तमान युग में महिलाएँ, पुरुषों से कंधे-से-कंधा मिलाकर प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। बावजूद इसके महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक असमानता प्रत्येक समाज में देखने को मिलती है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाली लैंगिक असमानता को समाप्त करने के उद्देश्य से "यूएन वुमेन" की स्थापना की गई है। लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये समर्पित यह संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट संस्था है। वैश्विक स्तर पर महिलाओं की समानता के मुद्दे को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विश्व निकाय के एक एकल निकाय के रूप में यूएन वुमेन को 4 जुलाई, 2010 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। हालाँकि वास्तविक तौर पर इसकी स्थापना 01 जनवरी, 2011 को की गई। इस संगठन का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है।

यूएन वुमेन *(UN Women)*

काफी जद्दोजहद और समस्याओं का सामना करने के बाद अंततः जुलाई, 2010 में संयुक्त राष्ट्र आम महासभा द्वारा लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिये इसकी स्थापना को स्वीकृति दी गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार संगठनों का विलय करके इसे यूएन वुमेन नाम दिया गया है। ये संगठन हैं- (i) महिला संवर्धन प्रभाग, (ii) लिंगाधारित मुद्दे पर विशेष सलाहकार कार्यालय, (iii) संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष, (iv) महिला संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शोध और प्रशिक्षण संस्थान।

- **संरचना:** यूएन वुमेन के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं-
  - **कार्यकारी बोर्ड:** यह बोर्ड इसकी परिचालन गतिविधियों को नियंत्रित करता है, साथ ही इस ईकाई के लिये परिचालन नीति एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है।
  - **महिलाओं की स्थिति पर गठित आयोग:** यह लैंगिक समानताओं के साथ-साथ महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिये विशेष रूप से समर्पित प्रमुख वैश्विक अंतरसरकारी संस्था है। यह आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग है जिसे 21 जून, 1946 को स्थापित किया गया था। महिलाओं की स्थिति पर आयोग महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, दुनिया भर में महिलाओं के जीवन की वास्तविकता का दस्तावेज़ीकरण, लिंग-समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण पर वैश्विक मानकों को आकार देने में सहायक है।
- **उद्देश्य:** यूएन वुमेन का मुख्य उद्देश्य विश्व में लैंगिक समानता स्थापित करना तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हर संभव प्रयास करना है। हालाँकि लैंगिक असमानता हर समाज में व्याप्त है। लैंगिक असमानता न केवल महिलाओं के विकास में बाधा बनती है, बल्कि यह राष्ट्र के आर्थिक-सामाजिक विकास में भी बाधा डालती है। ऐसे में महिलाओं को

अध्याय
5

शहरीकरण (Urbanization)

सामान्य अर्थों में नगरीकरण/शहरीकरण से आशय उस प्रक्रिया से है, जिसमें ग्रामीण लोग शहरों में निवास करने लगते हैं तथा कृषि-कार्यों को छोड़कर अन्य व्यवसाय अपनाने लगते हैं। इस प्रक्रिया में ग्रामीण अधिवासों का नगरीय अधिवासों में रूपांतरण होता है, जिससे नगरों का विकास एवं प्रसार होता है। हालाँकि शहरीकरण की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने इसे विभिन्न संदर्भों में परिभाषित किया है। एक अर्थशास्त्री के लिये शहरीकरण का अर्थ कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था से उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना है। एक जनसंख्याशास्त्री की दृष्टि से जब ग्रामीण आबादी की तुलना में शहरी आबादी में समानुपातिक वृद्धि होती है तो वह इसे शहरीकरण कहता है। इसी प्रकार समाजशास्त्री के नज़रिये से ग्रामीण समाज का शहरी समाज में बदलना ही शहरीकरण है। वह लोक संस्कृति को शहरी संस्कृति में बदलने को शहरीकरण मानता है। भूगोल के क्षेत्र में प्राकृतिक पर्यावरण का शहरी पर्यावरण में बदलना तथा नए शहरों की उत्पत्ति और पुराने नगरों का फैलाव शहरीकरण है। शहरीकरण की इन सभी परिभाषाओं को अगर मिलाकर देखें तो कहा जा सकता है कि शहरीकरण ग्रामीण अधिवासों से नगरों के रूप में कायांतरण की एक समुचित विधि है, जिससे व्यवसाय, अर्थव्यवस्था, भूमि उपयोग, समाज एवं संस्कृति, जीवन और रहन-सहन के स्तर तथा अन्य मानव मूल्यों में गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन क्रमशः स्पष्ट होने लगते हैं।

5.1 नगर *(Urban Area)*

नगर नगरीय समाजशास्त्र की प्रमुख व प्राथमिक अवधारणा है, लेकिन इसको परिभाषित करना कठिन है। यद्यपि, नगरीय क्षेत्र या नगर (Urban) शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है- समाजशास्त्रीय रूप में (Sociologically) और जनसांख्यिकीय रूप में (Demographically। प्रथम अर्थ में विषमता (Heterogenity), गुणवत्ता (Quality of life), अन्योन्याश्रय (Inter-dependence), अवैयक्तिकता (Impersonality) पर ध्यान केंद्रित रहता है, जबकि द्वितीय अर्थ में जनसंख्या की सघनता, जनसंख्या के आकार और वयस्क पुरुषों में से अधिकांश के रोज़गार के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

विभिन्न समाज वैज्ञानिकों द्वारा नगर की सामाजिक संरचना एवं पारिस्थितिकी (Social Structure and Ecology) की व्याख्या हेतु कई भिन्न-भिन्न सैद्धांतिक उपागमों का प्रयोग किया गया है। प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई नगर की परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं-

- **रूथ ग्लास** ने जनसंख्या के आकार, जनसंख्या की सघनता, प्रमुख आर्थिक व्यवस्था, प्रशासन की सामान्य रचना तथा कुछ अन्य सामाजिक विशेषताओं को नगर को परिभाषित करने हेतु प्रयुक्त किया है।
- **लुईस वर्थ** के अनुसार समाजशास्त्रीय उद्देश्यों के लिये "नगर सामाजिक रूप से विषमरूप (Heterogeneous) व्यक्तियों की अपेक्षाकृत बड़ी सघन (Denses) और अस्थायी बस्ती है।"
- **मैक्स वेबर** ने कहा है कि "नगर की आधारभूत विशेषता यह है कि नगर बाज़ार की भाँति कार्य करता है तथा वाणिज्य-व्यापार संबंधों की प्रधानता दर्शाता है।"
- **बर्गल** के अनुसार, "नगर वह है, जहाँ के अधिकांश निवासी कृषि-कार्यों से भिन्न उद्योगों में व्यस्त हों।"

नगर की विशेषताएँ *(Characteristics of City)*

नगर की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- **जनसंख्यात्मक विविधता:** नगरों में प्रायः अधिक सामाजिक विभिन्नता होने के कारण जनसंख्यात्मक एकरूपता का अभाव होता है। अतः नगर में विभिन्न जाति, प्रजाति, धर्म, संप्रदाय और आर्थिक वर्ग के लोग निवास करते हैं।

अध्याय
6

भूमंडलीकरण का भारत पर प्रभाव
(Impact of Globalization on India)

भूमंडलीकरण वस्तुतः एक प्रक्रिया को इंगित करता है जिसमें व्यापार के वैश्विक नेटवर्क, संचार, आव्रजन और परिवहन के माध्यम से अर्थव्यवस्थाओं, समाजों एवं संस्कृतियों का एकीकरण हो गया है। अभी हाल तक भूमंडलीकरण को मुख्यतः विश्व के आर्थिक पक्षों- व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह आदि तक केंद्रित कर देखा जाता था, लेकिन अब इसे व्यापक संदर्भों में देखा जा रहा है। इसके अंतर्गत संस्कृति, मीडिया, तकनीक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक गतिविधियों और यहाँ तक कि पर्यावरणीय गतिविधियों, जैसे- जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों को भी शामिल किया गया है। आज भूमंडलीकरण के प्रभाव से कोई भी देश अछूता नहीं है। किसी-न-किसी रूप में इसका प्रभाव सभी देशों पर दिखाई पड़ता है। भारतीय लोगों के जीवन, संस्कृति, रुचि, फैशन, प्राथमिकता इत्यादि पर भी भूमंडलीकरण का व्यापक प्रभाव पड़ा है। एक तरफ इसने आर्थिक विकास को गति प्रदान कर तथा प्रौद्योगिकी का विस्तार कर लोगों के जीवन-स्तर को सुधारने में मदद की है तो दूसरी ओर स्थानीय संस्कृति और परंपरा में सेंध लगाकर हम पर विदेशी संस्कृतियों को थोपने का प्रयास किया है।

6.1 भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव
(Impact of Globalization on Indian Society)

सामान्य अर्थ में भूमंडलीकरण एक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैश्विक व्यवस्था है, जिसमें बाज़ारी ताकतें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उनका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर देखा जा सकता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत उपभोग तथा उपभोक्तावाद, राष्ट्र तथा राज्य की संप्रभुता का ह्रास, अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होना एवं सूचनाओं को समय को बर्बाद किये बिना प्राप्त करना शामिल है।

भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया 1990 के दशक के प्रारंभ में शुरू हुई, जिसे आर्थिक सुधारों के रूप में जाना जाता है। मूलतः आर्थिक सुधारों के इस नए मॉडल को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी मॉडल) के रूप में जाना जाता है। इसमें उदारीकरण जहाँ सरकार के नियमों में कमी को रेखांकित करता है तथा वहीं निजीकरण व्यापार, सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र से सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को स्वामित्व के हस्तांतरण को दर्शाता है। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण सामान्यतः विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं के समेकन के लिये प्रयुक्त होता है। 1990 में, सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीतयुद्ध की समाप्ति हो गई, जिसके कारण राजनीतिक प्रभुत्व के स्थान पर आर्थिक प्रभुत्व की अवधारणा प्रारंभ हुई। जब से यह अवधारणा प्रारंभ हुई, विश्व दो खेमों में विभाजित हो गया; एक, जो भूमंडलीकरण का समर्थन करता है और दूसरा, जो इसे शोषणकारी उपनिवेशवादी मानते हुए इसका विरोध करता है।

वैश्वीकरण में यही प्रक्रिया और विस्तृत रूप में स्वीकारी गई, जिसमें अहस्तक्षेप को मात्र एक देश या अर्थव्यवस्था तक सीमित न रखते हुए पूरे विश्व पर लागू किया गया। भूमंडलीकरण के तीन पक्ष हैं- पहला, राजनीतिक क्षेत्र - जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ नियंत्रण रखता है; दूसरा, आर्थिक क्षेत्र- जिसे IMF, WTO, विश्व बैंक आदि नियंत्रित करते हैं तथा तीसरा, सामाजिक क्षेत्र- जिसे UNICEF जैसी संस्थाएँ नियंत्रित करती हैं। भूमंडलीकरण के विरोधियों में मुख्यतः राउल प्रेबिस्च (Raul Prebisch), गौंडर फ्रैंक (Gunder Frank) तथा वालरस्टीन (Wallerstein) जैसे विद्वान हैं। इनका मत है कि भूमंडलीकरण उपनिवेशवाद का नया स्वरूप है, जिसमें पश्चिमी देश अपनी आर्थिक शक्ति एवं तकनीकी कौशल से अल्पविकसित देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं, जिससे उनका प्रभुत्व इन पर दीर्घकाल तक बना रहे। ये विद्वान अल्पविकसित देशों को अपना बाज़ार खोलने के प्रति सचेत करते हैं।

भारत में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को दो दशक से अधिक हो चुके हैं जिसके आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव उभरकर आने लगे हैं, जो सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों हैं।

अध्याय
7

सामाजिक सशक्तीकरण (Social Empowerment)

वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में निर्बल वर्गों का चतुर्दिक् विकास एवं उक्त वर्ग के हितार्थ योजनाओं का क्रियान्वयन ही सामाजिक सशक्तीकरण है। सामाजिक सशक्तीकरण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य हाशिये पर स्थित वर्गों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करना होता है। ध्यातव्य है कि समाज के सभी तबकों को एक साथ लाए बगैर राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। अत: वर्तमान में सरकार बहुआयामी रणनीति के माध्यम से अलग-अलग तबकों के सशक्तीकरण का प्रयास कर रही है।

7.1 सामाजिक सशक्तीकरण का अर्थ *(Meaning of Social Empowerment)*

सामाजिक सशक्तीकरण का अर्थ है- सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य प्रकार के अवसरों से वंचित समुदायों की शक्ति और विश्वास में बढ़ोतरी करना। दूसरे शब्दों में, समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों को आधारभूत अवसर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया ही सामाजिक सशक्तीकरण है। भारत के संदर्भ में देखें तो समाज के कमज़ोर वर्गों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, कई धार्मिक समुदायों तथा तृतीय लिंगियों (Third Genders) आदि को सम्मिलित किया जा सकता है।

सामाजिक सशक्तीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित घटकों को शामिल किया जा सकता है-

- स्वयं की निर्णय लेने की क्षमता।
- सूचनाओं और संसाधनों तक पहुँच, ताकि उचित निर्णय लिये जा सकें।
- सामूहिक निर्णय प्रक्रिया में अपनी बात रख पाने की क्षमता।
- विकल्पों की बहुतायत होना।
- परिवर्तन के प्रति सकारात्मक सोच होना।
- स्वयं तथा समूह के विकास के लिये सीखने की क्षमता का होना।
- लोकतांत्रिक तरीकों से दूसरों की सोच में परिवर्तन लाने की क्षमता।
- विकास तथा परिवर्तन की प्रक्रियाओं में सतत् भागीदारी।
- कमियों से पार पाना तथा स्वयं की छवि का सकारात्मक विकास।

उपरोक्त घटकों का विश्लेषण करने पर सामाजिक सशक्तीकरण के कुछ प्रमुख तत्त्व (Elements) उभरकर सामने आते हैं, जिनसे इन कमज़ोर वर्गों को सशक्त बनाकर इन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है। ये प्रमुख तत्त्व हैं- सूचनाओं तक पहुँच, समावेशन और भागीदारी, जवाबदेही, स्थानीय सांगठनिक क्षमता।

7.2 वैचारिक उपागम *(Conceptual Approach)*

किसी व्यक्ति, समुदाय या संगठन की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, लैंगिक या आध्यात्मिक शक्ति में सुधार तथा वृद्धि को 'सशक्तीकरण' कहा जाता है। सशक्तीकरण का वैचारिक उपागम किसी व्यक्ति विशेष, संगठनात्मक कार्य-प्रणाली और समुदाय की शक्ति में सुधार के प्रयासों, रणनीतियों, प्रक्रियाओं तथा प्रभावों का विश्लेषण करता है।

- यह व्यक्तिगत शक्ति, योग्यता, नैसर्गिक रूप में उपलब्ध सहायक प्रणाली, सामाजिक नीतियों तथा सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों एवं अन्य पहलकारी व्यवहारों को समाहित करता है।
- यह वैचारिक स्तर पर पारस्परिक सामूहिक सहायता और अनुक्रियाशील समुदाय के निर्माण का समग्र रूप है, जो हमें व्याधिग्रस्तता (Illness) बनाम स्वास्थ्य (Wellness), अक्षमता बनाम सक्षमता, नि:शक्तता बनाम शक्ति के संदर्भ में विचार

अध्याय
8

सांप्रदायिकता (Communalism)

सांप्रदायिकता के तहत एक विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय दूसरे धर्मों अथवा धार्मिक संप्रदायों के प्रति विरोध और घृणा के भाव का प्रदर्शन करता है। भारतीय समाज विभिन्न धार्मिक समुदायों में बँटा हुआ है जिनके आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हित अलग-अलग हैं तथा अपने धार्मिक व सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण वे एक-दूसरे के विरोधी भी हैं। अत: राष्ट्र की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु वर्तमान में भारत में सांप्रदायिकता एक बड़ी चुनौती है, हालाँकि इससे निपटने हेतु अनेक प्रयास भी किये जा रहे हैं।

8.1 सांप्रदायिकता का अर्थ *(Meaning of Communalism)*

सामान्य अर्थों में सांप्रदायिकता किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उग्र भावना का द्योतक है, जिसमें दूसरे धर्मों अथवा धार्मिक संप्रदायों के प्रति विरोध और घृणा का प्रदर्शन किया जाता है। इसके आधार के रूप में वह काल्पनिक या वास्तविक भय कार्य करता है जिसके अंतर्गत एक विशेष धार्मिक समूह इस आशंका से घिरा रहता है कि दूसरे धार्मिक समूह उसके विरोधी हैं और उसे नष्ट करने के लिये प्रतिबद्ध हैं। सांप्रदायिकता के अंतर्गत एक ऐसी मानसिकता कार्य करती है, जिसमें विरोध, घृणा अथवा हिंसा के माध्यम से अन्य धार्मिक समूहों को दबाने का प्रयत्न किया जाता है। सांप्रदायिकता का धार्मिक कट्टरता के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, क्योंकि धार्मिक कट्टरता में होने वाली वृद्धि या कमी के साथ सांप्रदायिकता में भी वृद्धि या कमी होती रहती है। वर्तमान समय में सांप्रदायिकता की संकल्पना में राजनीतिक उद्देश्य भी सम्मिलित होते जा रहे हैं, क्योंकि आज राजनीतिक स्वार्थों की परिपूर्ति हेतु इसका खुलकर उपयोग किया जा रहा है। सांप्रदायिकता आज भारतीय समाज और राजनीति के लिये सबसे गंभीर खतरे के रूप में सामने आई है। यह धर्मनिरपेक्षता की जड़ें खोखली कर रही है। निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता एक ऐसी अभिवृत्ति है जिसके अंतर्गत एक विशेष धर्म अथवा संप्रदाय के अनुयायी अपने धार्मिक एवं राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिये स्वयं के समूह को अन्य धार्मिक समूहों के विरुद्ध संगठित करते हैं तथा आवश्यकता के अनुरूप उन्हें उग्र प्रदर्शनों एवं हिंसा के लिये उकसाते हैं।

यदि भारत के संदर्भ में देखें तो प्राचीन काल से ही यह विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, विचारधाराओं तथा परंपराओं का देश रहा है। यहाँ न केवल विभिन्न धर्मों का विकास हुआ बल्कि एक धर्म के अंदर भी विभिन्न मतावलंबियों का निर्माण होता रहा। हालाँकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन विभिन्न विचारधारा वाले समूहों ने यहाँ की संस्कृति को पुष्पित-पल्लवित करने में अहम योगदान दिया लेकिन धीरे-धीरे इन समूहों के बीच अलग-अलग आधारों पर पृथक्करण की भावना प्रबल होती गई। इस भावना से ग्रस्त होकर प्रत्येक धार्मिक समूह स्वयं को एक अलग इकाई मानकर अपने हितों को प्राथमिकता देने लगा तथा ईर्ष्या, द्वेष, विरोध, संघर्ष और हिंसा के माध्यम से दूसरे धार्मिक समूहों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करने लगा। धार्मिक पूर्वाग्रहों और धार्मिक अंधभक्ति की यही प्रवृत्ति सांप्रदायिकता है, जो वर्तमान में भारतीय समाज के सामने एक भयावह समस्या के रूप में विद्यमान है।

8.2 सांप्रदायिकता की सैद्धांतिक समझ *(Theoretical Understanding of Communalism)*

किसी देश या क्षेत्र विशेष में जब एक समुदाय विशेष के लोगों का एक बड़ा भाग अपने सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल हो जाता है या फिर उसे यह महसूस होता है कि उसके विरुद्ध भेदभाव हो रहा है। परिणामस्वरूप उसे समान अवसरों से वंचित रखा जा रहा है तो उसमें एक प्रकार की कुंठा और मोहभंग की भावनाएँ जाग्रत हो जाती हैं। यही सामूहिक कुंठा सांप्रदायिकता को जन्म देती है, जिसका एक परिणाम सांप्रदायिक हिंसा के रूप में हमारे सामने आता है। वस्तुत: इस समुदाय का एक उप-समूह ही हिंसात्मक आचरण करता है, जो समस्त समुदाय या असंतुष्टों के समूचे समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि समुदाय के अधिकांश इस उप-समूह के हिंसात्मक विचलित व्यवहार को अस्वीकार करते हैं, उसे दायित्वहीन आचरण मानते हैं तथा उसका विरोध करते हैं। एक विचारधारा के रूप में सांप्रदायिकता का मूलभूत अर्थ सांप्रदायिक विचारों और चिंतन

अध्याय
9

क्षेत्रवाद (Regionalism)

क्षेत्रीय पहचान की प्रकृति सदैव ही सामाजिक व सांस्कृतिक शक्तियों से जुड़ी रही है। भारत में क्षेत्रवाद की उत्पत्ति को सांस्कृतिक विरासतों, नृजातीय समूहों एवं भौगोलिक विभाजन में ढूंढा जा सकता है। क्षेत्रवाद उभरती राजनीतिक चेतना, प्रसरणशील भागीदारी तथा अपर्याप्त संसाधनों के लिये बढ़ती स्पर्द्धा की अभिव्यक्ति है। भारतीय संघीय प्रणाली में ऐसे अभिलक्षण भी मौजूद हैं, जिन्होंने क्षेत्रीय संघर्ष की प्रवृत्ति को जन्म दिया है। केंद्र तथा राज्यों के बीच केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण का द्वंद्व इसका उपयुक्त प्रतिरूप रहा है। इसके अलावा आर्थिक विकास की असमानता, राजनीतिक दलों का गठबंधन आदि ने भी क्षेत्रवाद को पोषित किया है। इन सबके बावजूद इस पहचान आधारित राजनीति ने भारतीय संघवाद में ऐसे उपादानों का निवेश किया है, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राजनीति को एक सूत्र में बांधे रखा है।

9.1 क्षेत्र का अर्थ *(Meaning of Region)*

क्षेत्र एक सापेक्ष शब्द है। इसे अलग-अलग संदर्भों में अलग-अलग तरह से समझा जाता है। इसके लिये भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को आधार बनाया जाता है। इसके भिन्न-भिन्न प्रयोगों में कई बार बहुत से राष्ट्रों को सम्मिलित किया जाता है, उदाहरण के लिये- आर्कटिक क्षेत्र, सुदूर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण-पूर्व एशिया। इसी प्रकार भारत में राजनीतिक सीमा वाले प्रदेश भी विभिन्न क्षेत्रों को बनाते हैं। साथ ही एक प्रदेश की सभी सीमा के अंदर उपक्षेत्र भी हो सकते हैं, जैसे- गुजरात में विदर्भ का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र।

वस्तुत: अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक भिन्नता और अपने रीति-रिवाज़ों, परंपराओं, मूल्यों एवं आदर्शों के प्रति चेतनता रखते हुए प्रत्येक क्षेत्र पर्याप्त रूप में एक विशिष्ट अस्तित्ववान इकाई के रूप में पहचाना जाता है। इस चेतनता के चलते एक क्षेत्र के लोग एक होने का भाव रखते हैं; जो कि अन्य क्षेत्रों से अलग होता है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समूह में रहता है और उसका समूह के साथ भावनात्मक संबंध होता है जिस कारण उसमें समूह के प्रति लगाव का भाव भी उत्पन्न होता है। यह भाव उसमें सुरक्षा की भावना का विकास भी करता है। इसी तरह उसकी उन भौगोलिक परिस्थितियों के प्रति भी आस्था उत्पन्न हो जाती है, जिनमें वह रहता है और उनके सांस्कृतिक समानता के तत्त्वों को महसूस करता है। इसके ज़रिये ही उसके विविध सामाजिक हितों की पूर्ति भी होती है।

9.2 क्षेत्रवाद *(Regionalism)*

क्षेत्र की विशिष्टता वहाँ के लोगों के मध्य फैली हुई विस्तृत एकात्मकता की भावना से अभिव्यक्त होती है। इस एकता के स्रोत कई होते हैं, जैसे- भूगोल, स्थलाकृति, धर्म, राजनीति और आर्थिक विकास, भाषा, रीति-रिवाज़ों एवं लोकाचार, आस्था, जीवनयापन के तौर-तरीके, ऐतिहासिक अनुभवों में साम्यता आदि। इन आधारों पर क्षेत्र की अस्मिता का उद्‌भव होता है, जिससे क्षेत्रीय एकात्मकता का उदय होता है। इससे किसी क्षेत्र के प्रति वहाँ के संबद्ध लोगों में एक प्रकार की निष्ठा का भाव होता है, यही निष्ठा क्षेत्रवाद का आकार और स्वरूप प्राप्त कर लेती है, जो क्षेत्रीय राजनीति का मार्ग प्रशस्त करती है।

क्षेत्रवाद को एक परिघटना तथा अवधारणा के रूप में व्याख्यायित करते हुए कहा जा सकता है कि इसके अंतर्गत लोगों की राजनीतिक निष्ठाएँ एक क्षेत्र विशेष पर केंद्रित हो जाती हैं। इसका अभिप्राय है कि लोगों का लगाव देश से अधिक किसी क्षेत्र विशेष के साथ बढ़ जाता है। क्षेत्रवाद का भारतीय राजनीति के स्वरूप और रचना को निर्धारित करने वाली प्रमुख शक्तियों में से एक है। यह प्राय: अन्य राजनीतिक शक्तियों को साथ में लेकर क्रियाशील होता है, उदाहरणार्थ- क्षेत्रवाद, जातिवाद साथ-साथ पाए जाते हैं। क्षेत्रवाद किसी क्षेत्र के लोगों में उस भावना और प्रयत्नों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनके माध्यम से वे उस क्षेत्र विशेष के लिये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों में वृद्धि करना चाहते हैं।

अध्याय
10

जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे
(Population and Associated Issues)

सन् 1872 से ही जनगणना, नागरिकों से संबंधित विभिन्न विशेषताओं एवं सांख्यिकीय सूचना का विश्वसनीय और प्रामाणिक स्रोत रही है। 2011 की जनगणना 1872 के बाद से देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 7वीं जनगणना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय प्रत्येक दस वर्ष के बाद देश में जनगणना कराने के लिये एक नोडल प्राधिकरण है। ध्यातव्य है कि जनसंख्या के अंतर्गत जन्म, मृत्यु, प्रवसन एवं जनसंख्या की संरचना तथा संगठन का अध्ययन किया जाता है, अत: जनसंख्या का सीधा संबंध समाज से होता है।

10.1 जनांकिकी एवं जनगणना *(Demography and Census)*

जनांकिकी एवं जनगणना के मध्य अंतर को निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं-

जनांकिकी *(Demography)*

जनांकिकी, मानव जनसंख्या का सांख्यिकीय अध्ययन है। इसमें गतिशील मानव आबादी, जो समय तथा स्थान के अनुरूप परिवर्तित होती है, के अंतर्गत जनसंख्या के आकार, संरचना एवं वितरण और जन्म, मृत्यु एवं प्रवास आदि के संदर्भ में स्थानिक या कालिक परिवर्तन का अध्ययन शामिल होता है। जनांकिकीय विश्लेषण को शिक्षा, धर्म, जाति तथा राष्ट्रीयता जैसे मानदंडों के आधार पर विभाजित पूरे समाज या समूहों पर लागू किया जा सकता है। जनांकिकी को प्राय: समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र या मानव विज्ञान की एक शाखा के रूप में माना जाता है। औपचारिक जनांकिकी के अध्ययन का लक्ष्य जनसंख्या की प्रक्रियाओं के मापन तक सीमित है, जबकि सामाजिक जनांकिकी जनसंख्या संबंधी अध्ययन का अधिक व्यापक क्षेत्र है, जो एक जनसंख्या को प्रभावित करने वाले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जैविक प्रक्रियाओं के बीच संबंधों का विश्लेषण करता है। यह किसी खास जनसमुदाय की विशेषताओं को निर्दिष्ट करता है, जिसका प्रयोग सरकारी, विपणन या अभिमत संबंधी अनुसंधानों में होता है।

जनगणना *(Census)*

जनगणना जनांकिकीय आँकड़े एकत्रित करने की एक आम विधि है। जनगणना संघ सूची का विषय है और इसके तहत देश के हर व्यक्ति को गिनने का प्रयास होता है। महत्त्वपूर्ण जनांकिकीय आँकड़ों को आमतौर पर लगातार एकत्र किया जाता है और वार्षिक आधार पर संक्षेपित किया जाता है। जनगणना सामान्यतया प्रत्येक 10 साल में होती है और इस प्रकार जन्म एवं मृत्यु के आँकड़ों के लिये सबसे विश्वसनीय व प्रामाणिक स्रोत जनगणना है।

जनगणना की एक बार प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अधिक गणना या अल्पगणना कितनी हुई है, इसका अनुमान विश्लेषकों द्वारा लगाया जाता है। जनगणना लोगों की गिनती के अलावा भी कई पक्षों को सम्मिलित करती है। यह आमतौर पर परिवारों या घरों से संबंधित जानकारियाँ एकत्रित करने के साथ-साथ अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं, जैसे- उम्र, लिंग, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता/शिक्षा, रोज़गार स्थिति और व्यवसाय तथा भौगोलिक अवस्थिति से संबंधित जानकारियाँ भी इकट्ठी करती है। जनगणना के अंतर्गत प्रवास (जन्म स्थान या पिछला निवास स्थान), भाषा, धर्म, राष्ट्रीयता (या जातीयता या नस्ल) और नागरिकता के आँकड़े भी एकत्र कर सकते हैं।

उन देशों में जहाँ महत्त्वपूर्ण पंजीकरण प्रणाली अधूरी हो, जनगणना का इस्तेमाल मृत्यु दर और प्रजनन क्षमता के बारे में जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में भी किया जाता है। उदाहरण के लिये चीन की जनगणना ऐसे जन्मों तथा मृत्यु की जानकारी एकत्र करती है, जो जनगणना के ठीक पहले 18 महीने में घटित हुई हों। आँकड़े एकत्र करने के अप्रत्यक्ष तरीकों की ज़रूरत उन देशों में होती है, जहाँ पूरे आँकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं। जनगणना के अप्रत्यक्ष तरीकों को प्राय: विकासशील देशों में अपनाया जाता है, जहाँ लोगों से उनके भाई-बहन, माता-पिता और बच्चों के बारे में पूछा जाता है।

अध्याय
11

गरीबी और विकासात्मक मुद्दे
(Poverty and Developmental Issues)

गरीबी वह अवस्था है जब लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, जैसे- वस्त्र, भोजन एवं आवास संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शुरुआती दिनों में गरीबी को निश्चित मात्रा में कैलोरी या अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली आय की प्राप्ति की क्षमता के संदर्भ में मापा जाता था। लेकिन समय के साथ-साथ गरीबी मापन संबंधी चिंतन बदलता रहा है और इसमें विभिन्न आयामों को शामिल करने संबंधी विचार भी बदलते रहे हैं। 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने गरीबी की परिभाषा को व्यापक बना दिया तथा अब गरीबी को बुनियादी ज़रूरतों की प्राप्ति में अक्षमता के रूप में देखा जाने लगा है। चूँकि यह अक्षमता देश व समाज के विकास में अवरोध उत्पन्न करती है, अतः सरकार द्वारा देश में गरीबी निवारण के अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

11.1 गरीबी की अवधारणा एवं प्रकार *(Concept and Types of Poverty)*

निर्धनता का सामान्य अभिप्राय है- धन के अभाव की स्थिति, यानी जब व्यक्ति जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित हो जाता है। इस अर्थ में यह मात्र एक आर्थिक समस्या प्रतीत होती है, जिसमें आय, संपत्ति तथा रहन-सहन के स्तर शामिल हैं तथा उन लोगों को गरीब माना जाता है, जिनकी आय इतनी नहीं होती कि वे रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। भारत और अमेरिका द्वारा अपनाई गई गरीबी रेखा की अवधारणा में निश्चित आमदनी के स्तर को ही गरीबी रेखा के तौर पर निर्धारित किया गया है। जो लोग उस रेखा से नीचे आते हैं, वे गरीब माने जाते हैं। गरीबी रेखा की यह अवधारणा व्यापक संदर्भ में यद्यपि एकांगी प्रतीत होती है, फिर भी कम-से-कम गरीबों के संदर्भ में इससे जानकारी तो अवश्य ही मिलती है। वहीं अत्यधिक गरीबी के लिये 'कंगाली' (Destitution) शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिये किया जाता है, जो अपना पेट पालने में भी असमर्थ हैं।

कुछ समय पूर्व तक भारत में निर्धनता पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि इसे जीवन के एक सामान्य तथ्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। अपनी गरीबी के लिये व्यक्ति विशेष को ही उत्तरदायी माना गया। कर्म-नियम तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत के आधार पर निर्धनता की वर्तमान दशा को व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया। यहाँ यह तथ्य महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि निर्धनता के लिये वंचना की स्थिति का होना आवश्यक है, क्योंकि स्वेच्छा से अपनाई गई गरीबी की दशा को वास्तविक या स्वाभाविक गरीबी के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, उदाहरण के लिये- संन्यासी जीवन व्यतीत करने वाले लोग। वस्तुतः भौतिक सुख-सुविधाओं का त्याग इनके द्वारा स्वेच्छा से किया जाता है। अतः वंचना जैसी कोई स्थिति यहाँ उत्पन्न नहीं होती।

आज गरीबी का अध्ययन करते हुए उसके अनेक आयामों पर विचार किया जाता है। इसे केवल आर्थिक संदर्भों से नहीं जोड़ा जाता। इसके अन्य आयामों में समाजशास्त्रीय, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक तथा भौगोलिक पक्षों के साथ-साथ जीवन-मूल्य प्रणाली भी शामिल है। यह व्यक्ति की शक्तिहीनता तथा संसाधनहीनता की स्थिति को दर्शाता है। गरीबी की स्थिति के विभिन्न आयाम हैं; जैसे- जीविका अथवा आय के निश्चित स्रोत का अभाव, अवसरों तथा रणनीतियों का अभाव, धन अथवा संसाधनों तक पहुँच का नहीं होना, असुरक्षा की भावना तथा संसाधनों के अभाव के कारण अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध रखने और विकसित करने की अक्षमता आदि। गरीबी की दशा में आर्थिक विषमता के परिणामस्वरूप सामाजिक विषमता उत्पन्न होती है। इसे निर्णय-निर्माण, नागरिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में सहभागिता के अभाव के रूप में भी देखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार गरीबी विकल्पों एवं अवसरों से वंचित करना तथा मानव गरिमा का उल्लंघन है।

अध्याय
12

धर्मनिरपेक्षता (Secularism)

धर्मनिरपेक्षता या सेक्यूलरिज़्म एक ऐसी संकल्पना है, जिसके अंतर्गत कोई राष्ट्र या संगठन स्वयं को विभिन्न धर्मों के प्रति उदासीन रखते हुए उस राष्ट्र या संगठन के संचालन एवं नीति निर्धारण में धर्म को महत्त्व न देते हुए लोगों के विकास एवं वृद्धि को तरज़ीह देते है। भारतीय संविधान में 'सेक्यूलरिज़्म' का हिन्दी अनुवाद धर्मनिरपेक्षता न होकर पंथनिरपेक्षता किया गया है। पंथनिरपेक्षता धार्मिक संस्थानों, धार्मिक उच्च पदधारियों तथा किसी धर्म विशेष से सरकारी संस्थानों व राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले शासनादेशित व्यक्तियों के पृथककरण का सिद्धांत है।

12.1 धर्मनिरपेक्षता का अर्थ *(Meaning of Secularism)*

'धर्मनिरपेक्षता' अंग्रेज़ी शब्द 'Secularism' का अनुवाद है, जो मूलतः लैटिन शब्द 'Seculam' से बना है। 'Seculam' का अर्थ होता है- इहलोक से संबंधित। अतः शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से 'Secularism' का अर्थ हुआ- वह विचारधारा जो मनुष्य को परलोक की चिंता छोड़कर इहलोक से संबंधित होने की प्रेरणा देती है। इसे 'धर्मनिरपेक्षता' इसलिये कहा जाता है, क्योंकि यह विचारधारा पारंपरिक धर्मों की परलोककेंद्रित मानसिकता का विरोध करती है।

धर्मनिरपेक्षतावाद आधुनिक काल की एक भौतिकवादी (Materialist) तथा मानववादी (Humanist) विचारधारा है, जो वैज्ञानिक मनोवृत्ति (Scientific Temper) के आधार पर इहलोक के महत्त्व की स्थापना करती है। भौतिकवादी होने के कारण यह भौतिक जगत को अंतिम सत्य मानती है तथा इसके पीछे ईश्वर, आत्मा या स्वर्ग जैसी पारलौकिक सत्ताओं को स्वीकार नहीं करती। मानववादी होने के कारण यह अपने चिंतन के केंद्र में मनुष्य और उसकी सांसारिक समस्याओं को रखती है। इस विचारधारा की प्रमुख मान्यताएँ नीचे दी गई हैं।

धर्मनिरपेक्षतावाद धर्म का समर्थन नहीं करता, क्योंकि धर्म पारलौकिक विश्वासों पर टिका होता है, जबकि धर्मनिरपेक्षतावाद ऐसे विश्वासों से तटस्थ रहता है। धर्म की उपेक्षा या विरोध का दूसरा कारण यह भी है कि धर्म वैज्ञानिक मनोवृत्ति तथा भौतिक विकास में बाधक बनता है, जबकि कुछ विचारकों के अनुसार भौतिक विकास ही मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य है। यहाँ यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि धर्मनिरपेक्षतावाद मज़हब (Religion) वाले अर्थ में ही धर्म का विरोध करता है; भारतीय परंपरा के उस अर्थ में नहीं, जिसमें धर्म को नैतिकता का समानार्थक माना गया है। धर्मनिरपेक्षतावाद की दूसरी प्रमुख मान्यता है- सिर्फ इहलोक में विश्वास करना। इस विचार का इतना अधिक महत्त्व है कि इसे कहीं-कहीं 'इहलोकवाद' भी कहा जाता है।

धर्मनिरपेक्षतावादियों ने विज्ञान और तकनीक के विकास पर अत्यधिक बल दिया है। उनका दावा है कि मनुष्य का कल्याण और उसके सुखों में वृद्धि ईश्वर की प्रार्थना करने से नहीं बल्कि विज्ञान-तकनीक के विकास से ही संभव है। विज्ञान का अर्थ है- उन नियमों की खोज करना, जिनके अनुसार प्रकृति संचालित होती है। तकनीक इसका अगला स्तर है। इसका अर्थ है, विज्ञान के नियमों का प्रयोग इस प्रकार करना कि मनुष्य को अधिकतम सुखों की प्राप्ति हो सके। प्रो. फ्लिंट का मानना है कि धर्मनिरपेक्षतावाद वह विचारधारा है, जिसके अनुसार मनुष्य का कल्याण विज्ञान-तकनीक के हाथों से संभव है।

धर्मनिरपेक्षतावादी धर्मनिरपेक्ष नैतिकता (Secular Morality) पर बल देते हैं। धर्म और नैतिकता के पारस्परिक संबंध को लेकर हमेशा विवाद रहा है कि नैतिकता धर्म पर निर्भर है या धर्म से स्वतंत्र है। कई पारंपरिक चिंतक मानते हैं कि जो नैतिकता धर्म पर आधारित नहीं होती, वह वस्तुतः नैतिकता होती ही नहीं। प्रो. गैलवे, दोस्त्योवस्की तथा महात्मा गांधी जैसे चिंतक इस विचार के पक्ष में थे। धर्मनिरपेक्षतावादी इस मत का खंडन करते हुए दावा करते हैं कि नैतिकता की पहचान सामाजिक प्रतिबद्धता के आधार पर होनी चाहिये, न कि धार्मिक आधार पर, क्योंकि कई धार्मिक कृत्य खुद अनैतिक होते हैं, (जैसे- पशुओं की बलि इत्यादि) जबकि कई धर्मनिरपेक्ष कार्य अत्यंत नैतिक होते हैं।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS

YouTube Drishti IAS

drishtiias

drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 8750187501, 011-47532596